मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक 02/परीक्षा/2016/**17.03.2016**	ऑनलाइन आवेदन करने की
	अंतिम तिथि **14.04.2016**

राज्य सेवा परीक्षा 2016

प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 29.05.2016

प्रथम प्रश्न पत्र :	सामान्य अध्ययन	प्रात: 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
द्वितीय प्रश्न पत्र :	सामान्य अभिरुचि परीक्षण	अपरान्ह 02:00 बजे से 04:00 बजे तक

महत्वपूर्ण

1. राज्य सेवा परीक्षा 2016 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगें । किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेंगें । आयु की गणना 01 जनवरी, 2017 के संदर्भ में की जायेगी ।
2. उपरोक्त परीक्षा के लिये आवेदक द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा कर सकते है इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जावेगा । परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये किसी बैंक का ड्राफ़्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जायेंगें ।
3. उपरोक्त प्रारंभिक परीक्षा 2016 के लिये ऑनलाइन आवेदन दिनांक 21.03.2016 को (दोपहर 12.00 बज़े) से दिनांक 14.04.2016 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकेंगें ।
4. ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 01.04.2016 से 16.04.2016 तक ऑनलाइन किया जा सकेगा । इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र, ₹ 50/– त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा । आवेदक त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं ।

   आवेदक यह ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा अत: वे प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन–पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें । यदि फ़िर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें ।

   त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि ₹ 250/– का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जायेगी ।
5. ऑनलाईन आवेदन पत्रों में आवेदक द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/लिंग (महिला/पुरूष)/ नि:शक्त /भूतपूर्व सैनिक/शासकीय सेवक) आदिके आधार पर ही लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदन सरसरी तौर पर अमान्य किये जायेंगें तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
6. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पद हेतु लिखित प्रारम्भिक परीक्षा दिनांक **29.05.2016** को दो सत्रों में आयोजित होगी। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक **07.05.2016** से **27.05.2016** तक **www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर उपलब्ध रहेंगें।
7. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें, प्रारम्भिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा । आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई–मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें ।
8. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आये और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।

विज्ञापन का प्रकाशन "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र के आगामी अंक में किया जायेगा।

01. भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से राज्य सेवा परीक्षा 2016 के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है । वर्गवार पदों की संख्या विभागों द्वारा प्रेषित मांगपत्रों के अनुसार दर्शाई गयी है । भरी जाने वाली रिक्तियॉं निम्नानुसार है –

स.क.	पदनाम/विभाग का नाम	(अ) कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				(ब) रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या				मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद	मध्यप्रदेश के मूल निवासी निःशक्त आवेदकों हेतु आरक्षित पद	कुल	वेतनमान
		अना	अजा	अजजा	अपिव	अना	अजा	अजजा	अपिव				
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
	द्वितीय श्रेणी												
	सामान्य प्रशासन विभाग												
01	राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष	14	04	05	04	05	01	02	01	0	1-अस्थिबाधित	**27**	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	गृह(पुलिस) विभाग												
02	राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक	25	08	10	07	08	03	03	02	0	0	**50**	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	सहकारिता विभाग												
03	सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं	01	0	01	0	0	0	0	0	0	0	**02**	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	श्रम विभाग												
04	श्रम अधिकारी	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	**01**	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग												
05	मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रेणी "ख"	08	0	4	1	3	0	1	0	0	0	**13**	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
06	सहायक संचालक	02	01	0	01	01	0	0	0	0	0	**04**	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग												
07	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	0	0	02	0	0	0	01	0	0	1-अस्थिबाधित	**02**	9300-34800 + 4200 ग्रेड पे
08	विकास खण्ड अधिकारी, जनपद पंचायत	01	0	00	01	0	0	00	0	0		**02**	9300-34800 + 3600 ग्रेड पे
	जनसम्पर्क विभाग												
09	सहायक संचालक जनसम्पर्क	01	0	01	0	0	0	0	0	0	1-अस्थिबाधित	**02**	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	महिला एवं बाल विकास विभाग												
10	सहायक संचालक	03	02	03	0	01	01	01	0	0	0	**08**	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
11	बाल विकास परियोजना अधिकारी	14	06	03	04	05	02	01	01	0	2-अस्थिबाधित 1-श्रवण बाधित	**27**	9300-34800 + 3600 ग्रेड पे
	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग												
12	सहायक संचालक उद्योग/ प्रबन्धक	28	05	13	05	09	02	04	02	0	5-अस्थिबाधित	**51**	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग													
13	क्षेत्र संयोजक	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**01**	9300-34800 + 3600 ग्रेड पे

तृतीय श्रेणी													
जेल विभाग													
01	सहायक जेल अधीक्षक	09	03	04	02	03	01	01	01	01 अनारक्षित	0	**18**	5200-20200 + 2800 ग्रेड पे
वाणिज्यिक कर विभाग													
02	उप पंजीयक	0	0	02	0	0	0	1	0	0	0	**02**	5200-20200 + 2800 ग्रेड पे
सहकारिता विभाग													
03	सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी	10	03	03	02	03	01	01	01	01 अनारक्षित	01 अस्थिबाधित	**18**	5200-20200 + 2800 ग्रेड पे
परिवहन विभाग													
04	परिवहन उप निरीक्षक	10	03	03	03	03	01	01	01	01 अनारक्षित	0	**19**	5200-20200 + 2800 ग्रेड पे
श्रम विभाग													
05	सहायक श्रम पदाधिकारी	04	0	0	0	01	0	0	0	01 अनारक्षित	0	**04**	9300-34800 + 3600 ग्रेड पे
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग													
06	मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रेणी "ग"	0	02	0	02	0	1	0	1	0	0	**04**	9300-34800 + 3600 ग्रेड पे
											कुल	**255**	

टीप : 1 तालिका में दर्शाए गए निर्धारित वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।

2 ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व आवेदक नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं । यदि कोई आवेदक परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा ।

3 प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र एवं बाद में प्रस्तुत होने वाले मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों में भिन्नता पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा।

4 समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, नि:शक्तजन तथा भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को देय आरक्षण एवं आयु सीमा की छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होंगी । अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगें । जो पद उक्त वर्गों के लिये आरक्षित नहीं है उनपर इन वर्गों के आवेदक अनारक्षित के रूप में विचारित किये जायेंगें। मध्यप्रदेश शासन व्दारा मान्य अन्य पिछडा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले आवेदकों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य लाभ देय नहीं होंगे ।
चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी ।

5 **अत्यंत महत्वपूर्ण :**

आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पहले विज्ञापन में दिए गये निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढने के बाद ही आवेदन पत्र भरे । ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी यथा जन्मतिथि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग , नि:शकता ,भूतपूर्व सैनिक, शासकीय सेवक, ग्रीन कार्ड, विक्रम अवार्ड, लिंग (महिला/पुरुष) एवं परीक्षा केन्द्र से सम्बन्धित विवरण में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा ।

02. यदि किसी भी अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिए अग्रणित (Carry Forward) नहीं किये जायेंगे । ऐसे

रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे ।

03. पदों की संख्या परिवर्तनीय रहेंगी । विज्ञापित पदों में वृद्धि प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम के पूर्व तक शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जा सकेगी, परन्तु ऐसे पदों के लिए पृथक से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जायेंगे तथा इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों के आवेदक ही पात्र रहेंगे । **पदों में कमी कभी भी की जा सकती है।**

04. अ. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध–दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चिय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब . कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई अभ्यर्थी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा यदि उसके पूर्व में एक जीवित संतान है और आगामी प्रसव 26.01.2001 को या उसके पश्चात् होता है जिसमें दो या दो से अधिक जीवित संतानों का जन्म होता है।

05. **परीक्षा योजना :–**

(1) **संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा निम्नलिखित चरणों में होगी –**

(1) मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रश्न); और

(2) सेवाओं तथा पदों के विभिन्न प्रवर्गों के लिये उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित)

(3) साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षण

परिशिष्ट एक में प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना तथा परिशिष्ट दो में पाठ्यक्रम प्रकाशित किया जा रहा है

(2) प्रारम्भिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों और उसके आदर्श उत्तरों की कुंजी तैयार कर, जिसके आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा, आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी।

प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1. ऐसे प्रश्न जिनका आदर्श कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब आदर्श कुंजी को संशोधित किया जायेगा।
2. आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाये गये प्रश्नों को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जायेगा :-
   (अ) ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में सही उत्तर न हो ।
   (आ) ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हों।

(2) उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गये प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

06. प्रारम्भिक परीक्षा के प्रस्तावित शहर :-

कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर
01	इन्दौर	12	झाबुआ	23	बैतूल	34	शहडोल	45	अशोक नगर
02	उज्जैन	13	टीकमगढ	24	भिण्ड	35	शाजापुर	46	बुरहानपुर
03	उमरिया	14	दतिया	25	भोपाल	36	शिवपुरी	47	डिण्डोरी
04	कटनी	15	दमोह	26	मण्डला	37	श्योपुर	48	अनूपपुर
05	खण्डवा	16	देवास	27	मंदसौर	38	सतना	49	अलीराजपुर
06	खरगौन	17	धार	28	मुरैना	39	सागर	50	सिंगरोली
07	ग्वालियर	18	नरसिंहपुर	29	रतलाम	40	सिवनी	51	आगर मालवा
08	गुना	19	नीमच	30	राजगढ	41	सीधी		
09	छतरपुर	20	पन्ना	31	रायसेन	42	सीहोर		
10	छिंदवाडा	21	बडवानी	32	रीवा	43	हरदा		
11	जबलपुर	22	बालाघाट	33	विदिशा	44	होशंगाबाद		

नोटः आवेदक परीक्षा शहर कोड सावधानी पूर्वक देखकर भरें। परीक्षा शहर के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अग्रमान्यता को किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा ।

शहर चयन के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश

अभ्यर्थी उपरोक्त तालिका में उल्लेखित शहर में से उसकी अग्रमान्यता के अनुसार अधिकतम पांच शहर चुन सकेगा। यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक द्वारा चयनित अग्रमान्यता अनुसार ही शहर आवंटित किए जाये। आयोग प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से चयनित अग्रमान्यता क्रम से भिन्न शहर आबंटित कर सकता है तथा शहरों की संख्या कम या अधिक कर सकता है।

07. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता

अभ्यर्थी, केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,1956 (अधिसूचना क्रमांक 03 सन् 1956) के अधीन समझे गए विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारक होना चाहिए या समतुल्य अर्हता रखता हो।

टीप–1 ऐसे अभ्यर्थी, जो किसी ऐसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों जिसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात् वे आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे किन्तु जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है तथा ऐसे अभ्यर्थी भी, जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित होने का आशय रखते हों, प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह घोषित किये गये हों, मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अन्तिम तारीख तक स्नातक उपाधि/समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिन तक या उसके पूर्व स्नातक उपाधि/समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन पत्र के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

टीप–2 ऐसे अभ्यर्थी भी, जिनके पास ऐसी व्यावसायिक या तकनीकी अर्हताएं हों, जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी उपाधि के समकक्ष हों, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।

08. आयु सीमा एवं संगणना की तिथि–

आयु की गणना 01 जनवरी, 2017 के संदर्भ में की जायेगी ।

(अ) गृह (पुलिस) विभाग, जेल विभाग तथा परिवहन विभाग के पदों हेतु अधिकतम आयु सीमा उनके भर्ती नियम के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार रहेंगी :-

पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
उप पुलिस अधीक्षक	20 वर्ष	25 वर्ष
सहायक जेल अधीक्षक	18 वर्ष	30 वर्ष
परिवहन उप निरीक्षक	21 वर्ष	35 वर्ष

(ब) गृह(पुलिस) विभाग, जेल विभाग तथा परिवहन विभाग के उक्त पदों को छोड़कर शेष पदों हेतु आयु सीमा निम्नानुसार रहेगी :-

(1) मध्य प्रदेश के मूल निवासियों हेतु **21 (इक्कीस) वर्ष** की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु **40 (चालीस) वर्ष** की आयु पूर्ण न की हो।

(2) अन्य प्रदेशों के मूल निवासियों हेतु **21 (इक्कीस) वर्ष** की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु **35 (पैंतीस) वर्ष** की आयु पूर्ण न की हो।

09. शारीरिक मापदंड

उप पुलिस अधीक्षक, सहायक जेल अधीक्षक तथा परिवहन उप निरीक्षक हेतु निर्धारित शारीरिक मापदंड निम्नानुसार है :–

कमांक	पद का नाम	लिंग	ऊँचाई से.मी. में	सीने का घेरा	
				बगैर फुलाये से.मी. में	पूर्णतः फुलाने पर से.मी. में
1	2	3	4	5	6
1	राज्य पुलिस सेवा (उप पुलिस अधीक्षक)	पुरुष	168	84	89
		महिला	155	सीने का माप अपेक्षित नही	सीने का माप अपेक्षित नही
2	सहायक जेल अधीक्षक	पुरुष	168	84	89
		महिला	155	सीने का माप अपेक्षित नही	सीने का माप अपेक्षित नही
3	परिवहन उप निरीक्षक	पुरुष	168	84	89
		महिला	155	सीने का माप अपेक्षित नही	सीने का माप अपेक्षित नही

10. 1. आयु सीमा में छूट हेतु परिशिष्ट–क देखें ।
2. ऑनलाईन आवेदन करने के निर्देश हेतु परिशिष्ट–ख देखें ।
3. आप्टिकल स्केनर द्वारा पढ़ी जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेशों हेतु परिशिष्ठ–ग देखें ।

11. 1. प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना हेतु परिशिष्ट –एक देखें।
2. प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट –दो देखें।

सचिव

परिशिष्ट–क

आयु सीमा में छूट :–

(एक) उप पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक जिला जेल, सहायक जेल अधीक्षक, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी उप निरीक्षक हेतु निर्धारित छूट उनके भर्ती नियमों के अनुसार रहेंगी।

(दो) अन्य पदों हेतु देय छूट निम्नानुसार है –

(अ) **अधिकतम आयु सीमा में अनुज्ञेय आयु शिथिलीकरण –**

(एक) निम्नलिखित प्रवर्गों हेतु अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी :–

क्रमांक	आवेदक	मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु सीमा (वर्ष में)	मध्य प्रदेश के बाहर के आवेदकों के लिए आयु सीमा (वर्ष में)
1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40	35
2.	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45	35
3.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45	35
4.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग- शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45	35
5.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45	35
6.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45	35
7.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45	35

(दो) नि:शक्तजन अभ्यर्थियों को अधिकतम हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

(तीन) भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा की गई सेवा के आधार पर अधिकतम 03 वर्ष की छूट होगी जो कि अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष के अध्यधीन होगी ।

कोई उम्मीदवार जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण

(1) भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है "मध्य प्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी मे रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985" के नियम 2 (ग) के अनुसार यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक।

(2) **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को जो सैनिक सेवा में है उन्हें भूतपूर्व सैनिक का लाभ नहीं दिया जाएगा । भूतपूर्व सैनिक को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व सेना से डिस्चार्ज होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। भूतपूर्व सैनिक को सेना द्वारा जारी परिचय-पत्र तथा पेंशन भुगतान आदेश की छायाप्रति भी अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

(चार) अधिकतम 2 वर्ष तक:– यदि अभ्यर्थी परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन अपने (पति/पत्नि) नाम पर ग्रीनकार्ड धारण करता हो;

(पांच) अधिकतम 5 वर्ष तक:– यदि अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग के आदेष के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित अन्तर्जातीय विवाह योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त सवर्ण पार्टनर हो;

(छ:) अधिकतम 5 वर्ष तक:– यदि अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/8/85/ 3/1, दिनांक 3 सितम्बर, 1985 के अनुसार "विक्रम अवार्ड" से सम्मानित खिलाड़ी हो:

परन्तु उक्त शिथिलीकरण के मामले में अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात अधिकतम लाभ वाली किसी एक छूट का ही हकदार होगा।

टिप्पण: (1) समस्त छूटों को सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित अधिकतम आयु सीमा (45 वर्ष) से अधिक नहीं होगी। **<u>अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष या अधिक होगी वे इस विज्ञापन के अधीन आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।</u>**

(2) निःशक्तजन अभ्यर्थियों को आरक्षण तथा अन्य लाभ केवल जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत निःशक्तता प्रमाण–पत्र के आधार पर देय होगा।

(3) आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट के समस्त लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य के सन्दर्भ में उपलब्ध होंगे, अतएव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, महिला, निःशक्तजन तथा भूतपूर्व सैनिकों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट तथा अन्य लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को अनुज्ञेय होंगे। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में माने जाएंगे।

(छह) उक्त उपबंध, इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अधिक्रमण में है।

उक्त रियायतों के सिवाय आयु सीमा में कोई भी अन्य छूट अनुज्ञेय नहीं होगी। अभ्यर्थियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आयोग केवल वही जन्म तिथि स्वीकार करेगा जो मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र में या उसके समकक्ष समझी गई परीक्षा के प्रमाण पत्र में अभिलिखित की गई हो। साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी के प्रमाण पत्र/अंक सूची जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो अनवार्य रूप से संलग्न की जाना चाहिए, इसमें असफल रहने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आयु से संबंधित अन्य दस्तावेज जैसे जन्मपत्री, शपथ पत्र, नगर निगम सेवा अभिलेखों इत्यादि से लिए गए जन्म संबंधी उद्धरण और इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र में उक्त प्रक्रिया के अनुसार एक बार जन्म तिथि सत्यापित होने तथा अभिलिखित हो जाने के बाद इसमें परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा तथा सभी अभ्यावदेन अमान्य होगें। प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों में विसंगतियां पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा।